भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3222

दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसयू में ठेका कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

3222. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितने ठेका श्रमिक नियोजित हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका और नैमित्तिक कामगारों को संबंधित क्षेत्रों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ब्यौरा एकत्र करने और सभी सीपीएसयू में सभी ठेका और नैमित्तिक कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया जा रहा है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): लोक उद्यम (पीई) सर्वेक्षण 2022-23 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सीपीएसई में नियोजित ठेका/नैमित्तिक कामगारों की संख्या 6,47,610 है।

(ख) से (घ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। सभी सीपीएसई को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित सभी सांविधिक विधानों का अनुपालन करना होता है।

*****